बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्र संख्या–06/निबंधन–49/2019 परि0.....182.....

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी।
सभी मोटरयान निरीक्षक।

पटना, दिनांक 8/1/2020

विषयः– **M/S-MAHINDRA & MAHINDRA LTD. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/S-MAHINDRA & MAHINDRA LTD. के द्वारा उनके उत्पाद मॉडल के संबंध में प्रस्तुत केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजेन्सी ARAI, Pune एवं ICAT, Haryana द्वारा प्रद्त्त प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं अन्य कागजात के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडल का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

Sl.No	Base Model	Variants	T.A.Certificate/ Date	Types of Vehicle	Price
1	**Mahindra Marazzo 7 str M2**	1. Mahindra Marazzo 8 str M2 2. Mahindra Marazzo 7 str M4+ 3. Mahindra Marazzo 8 str M4+ 4. Mahindra Marazzo 7 str M6+ 5. Mahindra Marazzo 8 str M6+	AAON 0399/22.11.2019	Light Passenger Vehicle & M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
2	**Mahindra XUV 300 w4 ds bs6 mt**	1. Mahindra XUV 300 w6 ds bs6 mt 2. Mahindra XUV 300 w8 ds bs6 mt 3. Mahindra XUV 300 w8 O ds bs6 mt	CAON 0281/22.11.2019	Light Passenger Vehicle & M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
3	**Mahindra XUV 300 w6 ds bs6 as**	1. Mahindra XUV300 w8 bs6 as 2. Mahindra XUV300 w8 (o) ds bs6 as	CAON 0283/22.11.2019	Light Passenger Vehicle & M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
4	**Mahindra XUV 500 fwd w5**	1. Mahindra XUV 500 fwd w7 2. Mahindra XUV 500 fwd w9 3. Mahindra XUV 500 fwd w11	CAON 0276/21.11.2019	Passenger Vehicle & M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।

1. निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली–1989 के नियम–126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र–22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम–93 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
2. वाहन का प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा ।
3. इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन का प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
4. किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।
5. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम–1994 की धारा–6 के अधीन करों की वसूली सुनिश्चित करेंगें तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगें।
6. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा–6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।
7. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 शेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
8. संबंधित Model का बिक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।
9. निर्माता कंपनी उक्त मॉडलों/वैरियन्ट के संबंध में COP छः माह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
10. वाहन–4.0 के होमोलोगेशन पोर्टल पर मॉडल/वैरियंट/वास्तविक विक्रय राशि एवं अन्य सूचना अंकित कराने का दायित्व कंपनी का होगा। उक्त सूचना पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निबंधन स्वीकृति की अनुमति रद्द मानी जाएगी।
11. माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी न्यायिक आदेश से यह प्रभावित होगा।

विश्वासभाजन

8/1/2020

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्र संख्या–06/निबंधन–49/2019 परि0..............

प्रेषक,
विशेष कार्य पदाधिकारी
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,
सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी।
सभी मोटरयान निरीक्षक।

पटना, दिनांक ....

विषयः– M/S-MAHINDRA & MAHINDRA LTD. **के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/S-MAHINDRA & MAHINDRA LTD. के द्वारा उनके उत्पाद मॉडल के संबंध में प्रस्तुत केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजेन्सी ARAI, Pune एवं ICAT, Haryana द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं अन्य कागजात के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडल का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

Sl.No	Base Model	Variants	T.A.Certificate/ Date	Types of Vehicle	Price
1	**Mahindra Marazzo 7 str M2**	1. Mahindra Marazzo 8 str M2 2. Mahindra Marazzo 7 str M4+ 3. Mahindra Marazzo 8 str M4+ 4. Mahindra Marazzo 7 str M6+ 5. Mahindra Marazzo 8 str M6+	AAON 0399/22.11.2019	Light Passenger Vehicle & M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
2	**Mahindra XUV 300 w4 ds bs6 mt**	1. Mahindra XUV 300 w6 ds bs6 mt 2. Mahindra XUV 300 w8 ds bs6 mt 3. Mahindra XUV 300 w8 O ds bs6 mt	CAON 0281/22.11.2019	Light Passenger Vehicle & M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
3	**Mahindra XUV 300 w6 ds bs6 as**	1. Mahindra XUV300 w8 bs6 as 2. Mahindra XUV300 w8 (o) ds bs6 as	CAON 0283/22.11.2019	Light Passenger Vehicle & M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
4	**Mahindra XUV 500 fwd w5**	1. Mahindra XUV 500 fwd w7 2. Mahindra XUV 500 fwd w9 3. Mahindra XUV 500 fwd w11	CAON 0276/21.11.2019	Passenger Vehicle & M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।

1. निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली–1989 के नियम–126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र–22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम–93 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
2. वाहन का प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा ।
3. इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन का प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
4. किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।
5. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम–1994 की धारा–6 के अधीन करों की वसूली सुनिश्चित करेंगें तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगें।
6. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा–6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।
7. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 शेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
8. संबंधित Model का बिक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।
9. निर्माता कंपनी उक्त मॉडलों/वैरियन्ट के संबंध में COP छः माह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
10. वाहन–4.0 के होमोलोगेशन पोर्टल पर मॉडल/वैरियंट/वास्तविक विक्रय राशि एवं अन्य सूचना अंकित कराने का दायित्व कंपनी का होगा। उक्त सूचना पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निबंधन स्वीकृति की अनुमति रद्द मानी जाएगी।
11. माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी न्यायिक आदेश से यह प्रभावित होगा।

विश्वासभाजन

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक : ....   पटना, दिनांक : ....

प्रतिलिपिः–Authorised Signatory : M/S-MAHINDRA & MAHINDRA LTD., Alankar Business Centre, 4th Floor, East Boring Canal Road, Patna-800001. को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक : 182   पटना, दिनांक : 8/1/2020

प्रतिलिपि : State Informatic Officer, NIC, Patna को Vahan Software में प्रविष्टि करने/I.T. Manager, परिवहन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/1/2020

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक–06 / मुकदमा–10 / 2019................

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री शशि भूषण कुमार,
एडवोकेट,
लाइब्रेरी, लायर्स एसोसिएशन,
पटना उच्च न्यायालय, पटना।

पटना, दिनांक :–

विषय :– Appeal No............/2019 मदन राय बनाम जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के मामले में सुनवाई हेतु उपस्थित होने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक ड्राईविंग लाइसेंस के नवीकरण हेतु दायर अपील सं0–............../2019 मदन राय बनाम जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के मामले की सुनवाई हेतु राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–20.01.2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे का समय निर्धारित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि निर्धारित तिथि को ससमय राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के परिवहन भवन, वीरचंद पटेल पथ, पटना स्थित कार्यालय कक्ष में आवेदक के Age एवं ID Proof के साथ सुनवाई हेतु उपस्थित होने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 218 पटना, दिनांक :– 10/1/2020

प्रतिलिपि :– राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव/जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/1/20

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।